

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक

16

अ-82/2017-18

महिलावाडी / 10218

बैतूल दिनांक

— 08-2018

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग) क्षेत्रफल(हेक्टरमें	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (मोप्र०)	मुलताई	महिलावाडी	5.279	महिलावाडी जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अठक्रो	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टरमें	अर्जन की भूमि का रकबा हेक्टरमें	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	307	1.761	0.364	कचरया वल्द हरबू पंवार सा.देह भूमि स्वामी
	311/6	3.029	1.648	
	313	1.619	1.619	
2	345/1	0.759	0.759	शंकरलाल, मनीराम, वल्द आशाराम, सरावन रामकुंवर वल्द शोभाराम बुलका मरनू मेनू पिता शोभाराम पंवार सा. डहुआ भूमिस्वामी

3	345/2	1.224	0.224	दयाराम पिता मौजीलाल पंवार सा.दहे
4	347/4	0.104	0.012	चन्द्रभान वल्द बाजीलाल जाति पंवार साकिन देह भूमि स्वामी
5	347/5	0.104	0.008	लवकुश वल्द बाजीलाल सा.देह भूमि स्वामी
6	351/2	0.498	0.105	बीरबल वल्द कालू जाति पंवार साकिन डहुआ
7	351/3	0.384	0.040	राखी जौ. रमेश, जाति अग्रवाल साकिन मुलताई भूमि स्वामी
8	366/40	0.317	0.004	कैलाश, मुन्ना, लहेराम वल्द गिरधारी निर्मलाबाई पिता गिरधारी गिरजा बेवा गिरधारी मनीराम, तेजीलाल वल्द नसरू देवला, सुगना पिता नसरू जाति पंवार साकिन देह
9	354/3	0.120	0.008	विनोदी वल्द हीरालाल जाति पंवार साकिन डहुआ
10	356/8	0.092	0.004	विनोदी वल्द ढोडिया जाति पंवार साकिन देह भूमि स्वामी
11	356/9	0.080	0.020	झूम्मक, किसन वल्द मेजर, मीरा, भागरती पिता मेजर जाति पंवार
	366/36	0.656	0.021	
12	356/10	0.050	0.020	बिरबल वल्द काल्या, धनराज, गनराज योगेश पिता सालकराम, कुसुमबाई पिता सालकराम, बायाबाई बेवा सालकराम मथरा पिता काल्या जाति पंवार साकिन चौथिया
	366/39	0.219	0.008	
13	356/11	0.050	0.021	गोडन जौ. मन्ना पाण्डू बगू वल्द नान्हू दसिया गोडन पितामोहपत जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी
	366/38	0.215	0.021	


14	366/22	0.162	0.008	तुलसीराम वल्द दल्लू काशी बेवा दयाराम मिस्टिक, माधोरी ना.बा.पिता दयाराम वली मा काशी बेवा दयाराम जाति पंवार साकिन देह
15	366/30	0.182	0.012	बोंदर वल्द नान्हु फुलमत जौ. कारु जाति पंवार साकिन देह
	366/31	0.182	0.008	
16	366/32	0.182	0.012	बोंदर, कारु वल्द नान्हु सुकी पिता नान्हु जाति पंवार साकिन देह भूमि स्वामी
17	366/35	0.183	0.012	ओझा वल्द गोपाल रमुनी पिता गोपाल साकिन देह
18	366/37	0.218	0.021	कलावती जौ. प्यारेलाल साकिन देह भूमि स्वामी
19	336/1	0.333	0.150	मैना सुहागा पिता मानिकराव कपूरा बेवा मारोती रामदास नेहरू मदन वल्द मारोती कमला इन्दू पिता मारोती विनोदी मोहन व0 हरबा नान्हा पिता हरबा मारोती कन्हैया वल्द गोपाल कुशना राधेलाल गेन्दलाल वल्द शिवजी द्वारका दुर्गा पिता शिवजी जाति पवार सुरजू पिता डोमा गुलस बेवा सोनबा पूनी यमुना वल्द केशो संगीता पिता पिरथी कमलेश दुर्गेश व0 पिरथी पवार सा0 देह
20	336/2	0.571	0.150	कन्हैया व0 केशो बटनी बेवा केशो संगीता पिता पिरथी कमलेश दुर्गेश ना. बा.व. पिरथी पवार सा0 देह
कुलयोग :—		12.723	5.279	

(2)– चूंकि महिलावाड़ी जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृष्ठ 59 अ-82/2017-18 महिलावाडी । १०२१८

बैतूल दिनांक

— 08-2018

प्रतिलिपि:-

1— उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

✓ 4— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।

5— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7— तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित रथल पर चर्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, "बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावे।

9— सरपंच/सचिव ग्राम महिलावाडी ग्राम पंचायत देवरी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार

 मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग